

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ .3 (ई )/अलेसे II/निप लिंक न . 5983 / 325


दिनांक :- 22.7.19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री शिव कुमार बिनानी [लिंक नं. 5983] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), सूरतगढ़, श्रीगंगानगर - [1462] जिनकी जन्म तिथि 05/03/1962 है, का दिनांक 14/05/2019 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 14/05/2019 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री शिव कुमार बिनानी के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


  
(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

क्रमांक :- एफ .3 (ई )/अलेसे II/निप लिंक न . 5983 / 325

दिनांक :- 22.7.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ,क्षेत्रीय कार्यालय .....
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), सूरतगढ़, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्व. श्री शिव कुमार बिनानी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी श्रीगंगानगर
5. श्रीमती कुसुम बिनानी पत्नी स्व. श्री शिव कुमार बिनानी ,लखोटियों का चाँक नृसिंह मंदिर के पीछे, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), सूरतगढ़, श्रीगंगानगर के मांध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / ए सी आर शाखा

  
(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)